

नरेंद्र सिंह राणा पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम- तेफना , चमोली , उत्तराखण्ड -246449, (इसके बाद इसे प्रथम पक्ष/भूमि स्वामी/पट्टाकर्ता कहा जाएगा) के बीच।

और

मेसर्स एआर केएस यूनिवर्सल प्रा. लिमिटेड A-1 Tower, First Floor , Shop No-2,39/1 Ballupur, Chakrata Road, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001, (इसके बाद इसे द्वितीय पक्ष/पट्टेदार कहा जाएगा)।

(पहले और दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति और शब्दों का अर्थ क्रमशः उनके कानूनी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, नियुक्त, नामांकित व्यक्ति, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि होंगे)

जबकि प्रथम पक्ष मालिक है और आवासीय ग्राम तेफना , चमोली , उत्तराखण्ड -246449 पर उसका कब्जा है इसमें संपत्ति/परिसर को संदर्भित किया गया है, और जबकि पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष को 8500 रुपये (केवल साढ़े आठ हजार) के मासिक किराए पर एक दुकान स्टोर के लिए और 02 कमरों रसोई, शौचालय और बाथरूम एवं मलाइट बिल सहित किराए पर दिया है, किराया समझौता 22.11.2024 की तारीख से 11 महीने के लिए शुरू किया गया है।

समझौते के नियम व शर्तें

1. आर्कस यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नंदप्रयाग घाट तेफना में साइट पर काम कर रहे अपने स्टाफ के रहने के लिए दो रूम, किचन, टॉयलेट बाथरूम एवं स्टोर के लिए एक दुकान किराये पर लिए हैं जिसमें पानी बिल भी शामिल है दोनों के मध्ये रुपये 8500/- मासिक किराया तय पाया गया है
2. बिजली का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर भुगतान किया जायेगा
3. किरायेदार द्वारा हर महीने किराये का भुगतान 10 तारीख को उसके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जायेगा
4. किरायेदार साइट का काम पूरा होने व उससे 15 दिन पहले माकन मालिक को सुचना देकर रूम को खली कर सकेंगे
5. मकान मालिक द्वारा किरायेदार के आने जाने की कोई पाबन्दी नहीं होगी
6. मेटेनेस की जिम्मेदारी माकन मालिक की होगी
7. किरायेदार उक्त निर्धारित परिसर मर्झ कोई भी अवैध गतिविधिया नहीं करेंगे

साक्ष्य में दोनों पक्षों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में 22.11.2024 के दिन और ऊपर उल्लिखित वर्ष में किराया समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रथम पक्ष:

गवाह:-

द्वितीय पक्ष

1.



2.

तारीख:

जगह

ATTESTED
VIRENDER SINGH
Advocate & Notary
Reg. No. 45(01) 2021
Opposite S.D.M. Court
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)